दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े delimitation प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया

नामक्कल/चेन्नई, १७ अप्रैल २०२६

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए १३१वें संविधान संशोधन विधेयक २०२६ (delimitation संबंधी) की एक प्रति जला दी और इसे 'काला कानून' करार दिया। उन्होंने इसे दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ साजिश बताया।

स्टालिन ने नामक्कल में विरोध प्रदर्शन के दौरान काले कपड़े पहने, काला झंडा फहराया और कहा, यह बिल तमिलों को उनकी ही भूमि पर शरणार्थी बना देगा। उन्होंने पूरे राज्य में हर घर और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे फहराने की अपील की।

स्टालिन का मुख्य तर्क

वे ३३ प्रतिशत महिला ▶▶पान ४ पे

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-२ ला अंक-१०६ वा शनिवार १८ एप्रिल २०२६ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

अरबाज की सदा, समाज हुआ फिदा।
बीड आरक्षण मोर्चा की कामयाब

बीड (प्रतिनिधि):मुस्लिम समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए सकल मुस्लिम आरक्षण कृती समिति के नेतृत्व में १७ अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय पर निकाला गया भव्य मोर्चा उत्साह और अनुशासन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मोर्चे को पूरे जिले से अभूतपूर्व समर्थन मिला, जिसके कारण बीड शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ देखने को मिली।

इस ऐतिहासिक मोर्चे के लिए अरबाज पठान सदा (आवाज) पर समाज एकजुट हुआ। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सुबह से ही शहर में अलग-अलग स्थानों से मोर्चे के जत्थे पहुंचने लगे थे। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए।

मोर्चे में शामिल प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार द्वारा रद्द किए गए ५ प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण का जोरदार विरोध किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तत्काल आरक्षण बहाल करने की मांग की।

मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष और तेज करने का संकेत देते हुए आरक्षण कृती समिति के प्रमुख अरबाज पठान ने कहा, जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, हम शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ी है। यदि

सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

मोर्चे के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की थी। किसी भी अप्रिय घटना के बिना यह मोर्चा शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ।

मोर्चे के अंत में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुस्लिम समाज को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आरक्षण सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की गई। प्रशासन ने इन मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

इस मोर्चे ने मुस्लिम समाज की एकता, संगठन शक्ति और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। अरबाज पठान के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन ने भविष्य के संघर्ष की दिशा तय कर दी है और संकेत दिया है कि समाज अपने हकों के लिए और अधिक मजबूती से खड़ा रहेगा। इस मोर्चा में मुस्लिम समाज के सभी नेताओं के साथ सभी पार्टियों के गैर मुस्लिम नेताओं ने भी समर्थन दिया कड़ी धूप में मोर्चा में शामिल प्रदर्शन कारियों के लिए ठंडे पानी का आयोजन भी जगह जगह किया गया था।

कड़ी धूप में कडे इरादे

पिछले कई वर्षों से आरक्षण के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे मुस्लिम समाज ने आज एक बार फिर 'हक की आवाज बुलंद' करते हुए एल्गार मोर्चा निकाला। अपने बच्चों के भविष्य के लिए तपती धूप में एकजुट होकर सड़कों पर उतरे समाजबंधुओं ने सरकार के प्रति अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त किया। दोपहर के समय यह नज़ारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच करते नजर आए।

तेज धूप और ४० डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद समाज ने जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया, वह भविष्य में परिवर्तन लाने वाला और अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

बीड के किल्ला मैदान से आज दोपहर २:३० बजे मोर्चे की शुरुआत हुई। मोर्चे के अग्रभाग में एक छोटी बच्ची काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए दिखाई दी। राज्य सरकार द्वारा घोषित ५ प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण को रद्द किए जाने के विरोध में यह आक्रोश सामने आया, जो पूरे मोर्चे में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

किल्ला मैदान से शुरू हुआ यह मोर्चा बलभीम चौक, कारंजा, राजुरी वेस, बशीरगंज चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक होते हुए नगर रोड मार्ग से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। इस दौरान जिले भर से आए समाजबंधुओं की भारी भीड़ मोर्चे में शामिल रही।

इस एल्गार मोर्चे ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि मुस्लिम समाज अपने हकों के लिए अब और अधिक मजबूती से संघर्ष करने को तैयार है।

नवनीत राणा पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज करने की मांग

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान कि मांग।

जमीर काज़ी

मुंबई (प्रतिनिधि):

अमरावती में सामने आए लैंगिक अत्याचार प्रकरण में नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भाजपा की विवादित नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने उन पर कड़ा हमला बोलते हुए 'पोक्सो' कानून के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें भाजपा से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजने की भी जानकारी दी।

परतवाड़ा में कई युवतियों के अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले को लेकर आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने

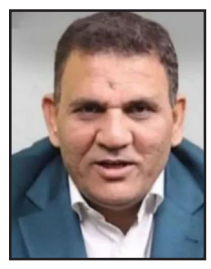

भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। आयोग की टीम ने परतवाड़ा का दौरा कर पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से जानकारी ली।

प्यारे खान ने आरोप लगाया कि नवनीत राणा ने इस संवेदनशील मामले में जानबूझकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाकर सामाजिक संघर्ष भड़काने की कोशिश की गई, जो बेहद गंभीर है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेतृत्व को तुरंत नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी को ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। इस मांग को लेकर आयोग की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजा जाएगा।

प्यारे खान ने यह भी बताया कि पीड़ित परिवारों ने भी नवनीत राणा के खिलाफ पोक्सो कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। कानून के अनुसार, इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण को धार्मिक रंग देना गलत है और राणा द्वारा सोशल मीडिया के लिए मुद्दे को उछालने की ▶▶पान ४ पे

संसद में महिला आरक्षण बिल की विफलता-क्या एनडीए के पतन के संकेत?

दिल्ली विशेष संवाददाता

भारत की संसद में महिला आरक्षण बिल की विफलता ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। पहली नजर में यह एक विधायी असफलता प्रतीत होती है, लेकिन गहराई से देखने पर इसके प्रभाव सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की आंतरिक राजनीति तक फैलते नजर आते हैं।

यह सवाल अहम है कि क्या यह केवल एक अस्थायी झटका है या वास्तव में एनडीए के पतन के संकेत सामने आ रहे हैं।

महिला आरक्षण बिल को सरकार ने एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में पेश किया था। ३३ प्रतिशत सीटों का वादा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन इस बिल का आवश्यक बहुमत हासिल न कर पाना सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े करता है।

यह विफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक था, जिसके लिए व्यापक सहमति आवश्यक थी। सरकार इस सहमति को बनाने में असफल रही, जिसे उसकी राजनीतिक कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है।

यदि एनडीए के आंतरिक हालात का विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। सहयोगी दल भले ही बाहर से सरकार के साथ खड़े नजर आते हों, लेकिन उनके असंतोष अब खुलकर सामने आने लगे हैं। विशेष रूप से जनता दल (यू) जैसे प्रमुख सहयोगी ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग की।

यह मांग केवल एक सुझाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। यह संकेत था कि सहयोगी दल अब केवल मौन समर्थन से संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी शर्तों और अपने वोट बैंक के हितों को प्राथमिकता देंगे।

दक्षिण भारत की पार्टियों में भी असंतोष स्पष्ट दिखाई दिया। परिसीमन (डिलिमीटेशन) के मुद्दे पर उनकी चिंताओं ने इस बिल को और विवादास्पद बना दिया। यह चिंता वास्तव में शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी हुई है।

एनडीए के ▶▶पान ४ पे

दैनिक भारत कि तामीर
विविधा
शनिवार १८ एप्रिल २०२६
४

मानवता का सम्मान इस्लामी शिक्षाओं की मूल विशेषता: प्रो. सुहैल अमीर शेख

उमरखेड़ (जिला यवतमाल), १७ अप्रैल:

दिलों को जोड़ने के लिए एक-दूसरे के करीब आना आवश्यक है। आज दुनिया में जो विभाजन पैदा हो रहा है, उसकी मूल वजह यह है कि इंसान खुद को बड़ा समझने लगा है। जबकि सच्चाई यह है कि सभी इंसान एक ही सृष्टिकर्ता की संतान हैं। एक-दूसरे का सम्मान करना ही इस्लाम का वास्तविक संदेश है और यही सोच हमें तरक्की की राह पर ले जा सकती है, यह विचार प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. सुहैल अमीर शेख ने व्यक्त किए।

वे उमरखेड़, जिला यवतमाल में आयोजित हिंदू-मुस्लिम संयुक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, उमरखेड़ शाखा की ओर से १२ अप्रैल को स्थानीय अनंतराव देवसरकर सभागृह में आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन किया।

रोज़े के आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रो. शेख ने कहा, रोज़े का अर्थ है 'रुक जाना'। इंसान अल्लाह के हुक्म के लिए अपने हक के खाने-पीने से भी परहेज करता है। लेकिन रोज़े का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब इंसान साल भर हराम कमाई और बुरी आदतों से दूर रहे। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर बुरी नजर नहीं डाल सकता, वह दूसरों की मां-बहनों पर कैसे बुरी नजर डाल सकता है? यही शिक्षा रोज़ा हमें देता है।

सामाजिक जिम्मेदारी और शांति

उन्होंने कहा कि समाज में शांति स्थापित करने के लिए सृष्टिकर्ता की पहचान और ईश्वर का भय आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि वह ईश्वर की निगरानी में है, तो अपराध और नफरत अपने आप समाप्त हो जाएंगे।

भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कुछ जलाने का शौक है, तो गरीबों के चूल्हे जलाओ। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ही वास्तविक सामाजिक प्रगति की नींव है।

कार्यक्रम के अंत में प्रेम, भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब पर आधारित भारत के निर्माण के लिए दुआ की गई।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अन्य धर्मों के धार्मिक नेता, पत्रकार तथा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेष अतिथियों में भंते कीर्ति बोधि, अकील मिर्जा, शेख नईम (पुसद), धर्मगुरु हनुमंत राव गायकवाड़, विजय बेतवाड़, शंकर पांचाल, शिवाजी राव वानखेड़े, विजय रेघाटे, डॉ. आशीष खंबालकर, डॉ. दिलवी, प्रो. धनराज तायडे सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

बीड जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ कार्रवाई समिति का ज्ञापन

गुमनाम पत्र प्रकरण पर सख्त कार्रवाई की मांग, जिले की बदनामी की साजिश - डॉ. गणेश ढवळे

बीड (दि.१७):

बीड जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया है। आगजनी जैसे गंभीर मामलों सहित अन्य अपराधों पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर बीड जिला कार्रवाई समिति ने पुलिस अधीक्षक को लिखित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही गुमनाम पत्रों के माध्यम से प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा करने के प्रयासों पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले ढाई वर्षों से जिला सामाजिक अस्थिरता के माहौल से गुजर रहा है और आगजनी की घटनाओं में अपेक्षित प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके कारण आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है।

हाल के समय में हत्या, डकैती और अत्याचार जैसे गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। इस पृष्ठभूमि में अपराधों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की गई है।

इसके अलावा, गुमनाम पत्रों के जरिए समाज में भय और भ्रम फैलाने की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि ऐसे मामलों की तकनीकी जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

समिति ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि जिले की जानबूझकर बदनामी करने की साजिश रची जा रही है। आगजनी और अन्य गंभीर मामलों की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने की मांग की गई है। इस ज्ञापन पर डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर), रामनाथ खोड, शेख यूनुस, पूर्व सैनिक अशोक येडे, बाळासाहेब मोरे पाटील, रामधन जमाले, सैयद सादेक, सुहास जायभाये, किष्किंधा पांचाल सहित अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं।

राजेगांव ग्राम पंचायत की सराहनीय पहल: गांव में जन्मी पहली बेटी के नाम ५ हजार की सुकन्या योजना

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व डॉ. ज्योतीताई मेटे के जन्मदिन पर पहली जमा राशि

बीड (प्रतिनिधि):

बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से राजेगांव ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया निर्णय अब जमीन पर उतरने लगा है। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती और डॉ. ज्योतीताई विनायकराव मेटे के जन्मदिन के अवसर पर गांव की पहली लाभार्थी बालिका के नाम सुकन्या योजना में राशि जमा कर इस पहल की शुरुआत की गई।

लोकनेता स्वर्गीय विनायकराव मेटे द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों से प्रेरित होकर उनके जन्मस्थान राजेगांव में यह अभिनव निर्णय लिया गया था। १ अप्रैल २०२५ को ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में तत्कालीन सरपंच एडवोकेट प्रवीण मेटे की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

इस प्रस्ताव के अनुसार, १ अप्रैल २०२५ के बाद गांव में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के नाम ग्राम पंचायत की ओर से ५ हजार रुपये फिक्स डिपॉजिट या सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किए जाएंगे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक नवजात बालिका के नाम बैंक में राशि जमा की जाएगी। इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि डॉ. ज्योती विनायकराव मेटे द्वारा ग्राम पंचायत को धनादेश के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में इस प्रस्ताव के तहत पहली जमा राशि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती और शिवसंग्राम की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉ. ज्योतीताई विनायकराव मेटे के जन्मदिन के अवसर पर की गई। गांव के मंगेश सर्जेराव मेटे की पुत्री श्रीजा मंगेश मेटे के नाम पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ५ हजार रुपये जमा किए गए, जो इस योजना की पहली क्रियान्वयन प्रक्रिया बनी।

इस पहल से बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ उनके शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक आधार मजबूत होगा, ऐसी भावना ग्रामवासियों द्वारा व्यक्त की जा रही है। गांव स्तर पर शुरू किया गया यह उपक्रम अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा।

जलगांव से उठी सशक्त आवाज़: परतवाड़ा और नासिक की घटनाओं की कड़ी निंदा, कठोर कार्रवाई की मांग

जलगांव (अकिल ख़ान ब्यावली)

समाज की नैतिकता और संवेदनशीलता को झकझोर देने वाली दो गंभीर घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। परतवाड़ा अमरावती में युवतियों की सोशल मीडिया रील्स का दुरुपयोग कर की गई अशोभनीय हरकतें हों या नासिक में एक मल्टीपर्पज़ कंपनी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के नाम पर संदिग्ध गतिविधियों की खबरें, ये दोनों मामले न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि सामाजिक मूल्यों के क्षरण की ओर भी संकेत करते हैं।

इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एकता संघटन, जलगांव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे कृत्य पूरी तरह आपराधिक मानसिकता के परिचायक हैं और इन्हें किसी भी जाति या धर्म से जोड़ना समाज में विभाजन और वैमनस्य फैलाने के समान है। संगठन ने जोर देकर कहा कि कोई भी धर्म इस प्रकार की अनैतिक और अमानवीय हरकतों की अनुमति नहीं देता। संघटन के समन्वयक फारुक शेख ने मीडिया, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वे जिम्मेदारी का परिचय दें और फर्जी खबरों या किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की कोशिशों से बचें। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए,सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर, उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए,ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार अमरावती में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की गई, उसी प्रकार नासिक में भी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कदम उठाए जाएं। संघटन के कार्याध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहीम पटेल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र और न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया निवेदन

इन सभी मांगों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पालक मंत्री गुलाबराव पाटील के माध्यम से सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, विधायक संजय सावकारे, विधायक अनिल पाटील तथा जिलाधिकारी रोहन घुगे उपस्थित रहे।

इस प्रतिनिधिमंडल में फारुक अनीस शाह, अनवर शिकलगर, नजमुद्दीन शेख, सलीम इनामदार, मज़हर पठान, मुज़फ्फर खान, ताहेर शेख, मौलाना गुफरान, आरिफ देशमुख, सदाकत सैय्यद, अब्दुल रऊफ, सईद शेख, साबिर शेख, रफीक पठान, अख्तर शेख, वसीम शेख और ज़की पटेल सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल थे.

जाहीर प्रगटन
सावधान
ZUM ZUM

झमझम इंडस्ट्रीज बीड ही आपल्या झमझम या थंडपेय उत्पादनाचा व्यवसाय करते. ही कंपनी थंडपेयाच्या रिकाम्या बाटल्या किंवा प्लास्टीक क्रेटची विक्री करत नाहीत. बाजारात अशा रिकाम्या बाटल्या खरेदी व विक्री करून त्याचा दुरुपयोग करून कंपनीस बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा प्रकारे रिकाम्या बाटल्या व क्रॅटची खरेदी व विक्री करणे हे कायदेशीर दृष्ट्या गैर आहे. 'झमझम'ची उत्पादनाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांनीही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जुने साहित्य (भंगार) खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनीही झमझमच्या रिकाम्या बाटल्या अथवा क्रॅटची खरेदी विक्री करणाऱ्यांनीही झमझमच्या रिकाम्या बाटल्या अथवा क्रॅटची खरेदी-विक्री व्यवहार करू नये किंवा त्यास सहकार्य करू नये. असे कोठेही आढळल्यास झमझम इंडस्ट्रीज त्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करील व त्याच्या परिणामाची जबाबदारी संबंधितावर राहील याची सूचना देण्यासाठीच हा सावधानतेचा इशारा दिला आहे. याची नोंद घ्यावी.

ZUM ZUM
प्रगटन देणार
झमझम इंडस्ट्रीज
झमझम कॉलनी, बीड

पान १ वरून

संसद में महिला आरक्षण बिल की...

सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह विभिन्न हितों को एक मंच पर कैसे बनाए रखे। भाजपा की केंद्रीकृत नियंत्रण वाली राजनीति अब सहयोगियों को सीमित महसूस हो रही है। यह भावना भविष्य में मतभेदों को और बढ़ा सकती है।

हालांकि किसी बड़े सहयोगी ने खुलकर विद्रोह नहीं किया है, लेकिन मौन असंतोष की राजनीति स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। यही मौन असंतोष किसी भी गठबंधन के लिए सबसे खतरनाक चरण होता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह स्थिति नियंत्रित असहमति (उेपीौश्रश्रशव उ्ळीीशपीं) का उदाहरण है। यानी सहयोगी सरकार गिराना नहीं चाहते, लेकिन अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं।

इस बिल की विफलता ने विपक्ष को भी एक मजबूत मुद्दा प्रदान किया है। विपक्ष अब सरकार को सहमति बनाने में असफल करार दे रहा है। यह नैरेटिव आने वाले चुनावों में प्रभाव डाल सकता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया था। इस शर्त ने कई दलों को संदेह में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे।

मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा न होना भी एक बड़ा विवाद बना। इस मुद्दे ने सामाजिक न्याय की बहस को और तेज कर दिया और सहयोगी दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया।

यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह घटना एक राजनीतिक चेतावनी है। यह संकेत देती है कि एनडीए के भीतर पूर्ण सामंजस्य नहीं रह गया है और हर सहयोगी अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए अलग रणनीति अपना रहा है।

हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि एनडीए तत्काल पतन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार के पास अभी भी संख्यात्मक बहुमत है और कई सहयोगी उसके साथ मजबूती से खड़े हैं।

लेकिन यह भी सच है कि गठबंधन केवल संख्याओं से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है, और इस विश्वास में दरारें दिखाई देने लगी हैं।

आने वाले समय में यदि यही रुझान जारी रहा, तो विधायी प्रक्रिया में और कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं और गठबंधन की राजनीति और जटिल हो सकती है।

निष्कर्षतः, महिला आरक्षण बिल की विफलता को केवल एक कानूनी असफलता नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एनडीए के भीतर बढ़ते मतभेदों की एक झलक है। यह एक चेतावनी संकेत अवश्य है, जो बताता है कि यदि समय रहते राजनीतिक रणनीति में बदलाव नहीं किया गया, तो भविष्य में ये मतभेद बड़े संकट का रूप ले सकते हैं।

अंत में यह कहना उचित होगा कि यह विफलता एनडीए के पतन की घोषणा तो नहीं है, लेकिन उसके संकेत जरूर दे रही है-और यही संकेत भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।

नवनीत राणा पर पोक्सो के...

कोशिश की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने इस मामले के आरोपियों के साथ फोटो खिंचवाए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज ने भी आरोपियों के बहिष्कार का निर्णय लिया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कानून, संवेदनशीलता और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों को केंद्र में ला दिया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ...

आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इसे तुरंत ५४३ लोकसभा सीटों पर लागू किया जाए।

लेकिन केंद्र इसे delimitation (२०११ जनगणना के आधार पर सीटों की नई सीमा-रेखा और सीटों की संख्या बढ़ाने) से जोड़कर दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक) की लोकसभा सीटों को कम करने की कोशिश कर रहा है।

स्टालिन का आरोप: यह सुधार नहीं, पावर री-इंजीनियरिंग है। उत्तर भारत की सीटें लगभग दोगुनी हो जाएंगी, जबकि दक्षिण की हिस्सेदारी घटकर २४% रह जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों को सजा दी जा रही है।

हालिया घटनाक्रम

१६ अप्रैल को संसद के विशेष सत्र से पहले स्टालिन ने राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया।

कल लोकसभा में यह संशोधन बिल दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण गिर गया, जिसका स्टालिन ने स्वागत किया और इसे तमिलनाडु की जीत बताया। ऊ्चघ कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े।

स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर वशश्रळाळींरींळेप पर जोर दिया गया तो १९५०-६० के दशक जैसा आंदोलन होगा और हर परिवार सड़क पर उतरेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम चेतावनी भी दी।

विपक्षी दलों का साथ: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्री भी वशश्रळाळींरींळेप का विरोध कर रहे हैं।

केंद्र सरकार का पक्ष अभी तक स्पष्ट रूप से आया नहीं है, लेकिन भाजपा ने इसे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हैं। यह विवाद दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति को फिर से गर्म कर गया।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com
daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com